न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 891–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–3–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना, प्रकरण कमांक 19/पुनरीक्षण/2011–12.

.....

टीकाराम माली पुत्र मूलचन्द माली,
निवासी राघौगढ जिला गुना

..... आवेदक

विरूद्ध

1–ग्यारसीलाल पुत्र नाथूलाल माली
निवासी राघौगढ तहसील राघौगढ़ जिला गुना
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 17/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 . (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार राघौगढ के न्यायालय में कस्वा राघौगढ की भूमि सर्वे कमांक 238 रकबा 0.564 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार राघौगढ ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुये उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक व पटवारी को आदेशित किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25–11–2011 को सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई

और तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–11–2011 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के सीमांकन आदेश दिनांक 28–11–2011 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2012 से निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन किये बिना विवादित आदेश पारित किया गया है, क्योंकि राजस्व निरीक्षण द्वारा तथाकथित सीमांकन के पूर्व जो सूचना पत्र भेजे जाने का उल्लेख किया है उसमें आवेदक के पिता मूलचंद का नाम अंकित किया गया था, आवेदक का नाम बाद में जोडा जाना सूचना पत्र से स्पष्ट है । यह भी कहा गया कि पडोसी कृषक को सूचना दिये बिना उसके पीठ पीछे किया गया सीमांकन अनियमित कार्यवाही है, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन का गुणदोषों पर निराकरण न करने में गंभीर भूल की है । व्यवहार वाद के लंबित होने से अपर कलेक्टर का विचाराधिकार समाप्त नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार ने सीमांकन प्रतिवेदन तथा संलग्न पंचनामा आदि प्राप्त होने पर यह देखने तक का प्रयास नहीं किया कि क्या सीमांकन विधिवत् संबंधितों को सूचना देकर किया गया है अथवा नहीं । सीमांकन प्रतिवेदन के साथ सीमांकन की नाप का कोई प्रमाण संलग्न न होते हुये भी उसे मान्यता देना विचाराधिकार का दुरूपयोग है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में यही कहा गया कि अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण में फील्डबुक संलग्न नहीं है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में फील्डबुक तैयार की जाना अनिवार्य आवश्यकता है, अतः यह नहीं ठहराया जा सकता है कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत् की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा भी व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर निगरानी निरस्त की गई है, जबकि उन्हें सीमांकन की वैधानिकता पर भी विचार करना चाहिये था, अतः अपर कलेक्टर का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही करें और सीमांकन आदेश पारित करने में व्यवहार न्यायालय के आदेश को भी ध्यान में रखें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर